न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—21/2022 (2022/79) वाद पत्र

उनवान

1—पारसदेवी पुत्री बंशीदास पत्नि गोपाललाल वैष्णव निवासी राणास हाल नि.खजुरिया तहसील सहाड़ा
2—गीतादेवी पुत्री बंशीदास पत्नि कैलाशचन्द्र वैष्णव निवासी राणास हाल नि.फियावड़ी तहसील कुंवारिया

वादीगण

बनाम

1—बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास (मगनीदास) निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कंकुदेवी पत्नि सीतारामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—कैलाशदास पिता सीतारामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—जगदीश पुत्र मोहनदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—मदनदास पिता आनन्दरामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—राधा पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—रामचन्द्र पिता आनन्दरामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—लक्ष्मी पुत्री शंकरदास ना.बा.बे.वि. दादी कंकुदेवी पत्नि सीतारामदास निवासी राणास तहसील रायपुर
9—लादी पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10—शांति पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11—सम्पतदास पिता सीतारामदास बैरागी निवासी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
13—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश टेलर —

वादीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—23.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य प्रतिवादीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात संख्या 1213 रकबा 0.15 हैक्ट, 1322 रकबा 0.22 हैक्ट, 1323 रकबा 0.66 हैक्ट, 1324 रकबा 0.02 हैक्ट गेमु आचा, 1382 रकबा 0.09 हैक्ट कुल किता 05 कुल रकबा 1.14 हैक्ट भूमि राजस्व खाता संख्या 158 पर प्रतिवादी संख्या 01 बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास बैरागी के नाम पर तन्हा रूप से दर्ज रेकार्ड हैं। इसी प्रकार ग्राम राणास की पैतृक कृषि आराजियात संख्या 1217 रकबा 0.03 हैक्ट गेमु आचा., 1218 रकबा 0.05 हैक्ट, 1320 रकबा 0.30 हैक्ट, कुल किता 03 कुल रकबा 0.38 हैक्ट भूमि राजस्व खाता संख्या 159 पर दर्ज होकर इसमें प्रतिवादी संख्या 01 बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास बैरागी का 1/8 हिस्सा दर्ज हैं व अन्य शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का हैं। इनके साथ गेमु आचा की आराजी संख्या 311 रकबा 0.02 हैक्ट 699 रकबा 0.07 हैक्ट गेमु आचा, 1237 रकबा 0.04 हैक्ट, कुल तीन कुऐं स्थित हैं। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का हक एवं हिस्सा निहित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 साथ प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजियात पुर्व मे वादीगण के दादा मंगनीराम दास पिता मीठालालदास बैरागी के समय से चली आ रही और मंगनीरामजी के कोई औलाद नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास जी जो कि

वादीगण के सगे पिता है को गोद रखा और प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास जी की वादीगण जायन्दा पुत्रीयां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारीस है जिससे उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक एव मौरूसी भुमिया है जिससे वादीगण का भी उक्त भूमियों वर्णित हिस्से मे भी वादीगणो का जन्म से हक अधिकार निहीत है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात के सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक नम्बर 647/1, 697/5, 697/4, 734/4, 648 मीन, 653/2, 695, 363, 205/6 है जो मगनी राम पिता मीठा लाल बैरागी के नाम दर्ज है और विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जरिये नामान्तरण संख्या 122 दिनांक 29.04.1971 के जरिये दर्ज हुई है प्रमाण में नकल जमाबदी संवत् 2027 से 2030 व नामान्तरणकरण संख्या 122 व मीलान क्षेत्रफल की प्रति साथ प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 करीबन 25 वर्ष से अन्धे है उनकी नजर चली गई है व वादीगण की माता व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी शंकरी देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास जी के अन्धे होने का गांव के अन्य भाई–बन्ध लाभ उठा कर उक्त वर्णित वादीगण की पेतृक एव पुस्तैनी भुमियों को उनके नाम पर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है जबकी प्रतिवादी संख्या 1 बंशीलाल जी की सेवा चाकरी भरण पोषण सुश्रुषा आदी वादीगण ही कर रहे है और प्रतिवादी संख्या 1 को किसी भी रूप से भुमियो को विक्रय करने या खुर्द–बुर्द करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर भी लोगों के बहकावे में आकर वादीगण को उक्त वर्णित भुमियों में निहित वादीगण के कानुनी हक अधिकार से वंछित करने पर आमादा है इसलिये वादीगण खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादपत्र की कॉलम नम्बर 1 में वर्णित आराजी संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 हैक्ट मे वादीगण का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा यानी वादीगण का सयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास का 1/3 है एंव आराजी संख्या 1217, 1218, 1320 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्ट, भुमि मे वादीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रूप से 2/24 हिस्सा एव प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/24 हिस्सा है व कुएँ की आराजी संख्या 311, 699, 1237 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 हैक्ट, भुमि में दर्ज बंशीलाल पिता मंगनी राम दास बैरागी के हिस्से में हम वादीगण का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 का उक्त भुमिया मौरूसी होने से निहीत है तथा इसी अनुसार हम वादीगण और प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज है तदनुसार हम वादीगण इसकी घोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमाई जावे कि आराजी संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 हैक्ट मे वादीगण का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा यानी वादीगण का सयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास का 1/3 हिस्सा है एंव आराजी संख्या 1217, 1218, 1320 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्ट, भुमि मे वादीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रूप से 2/24 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा है व कुएँ की आराजी संख्या 311, 699, 1237 कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 हैक्ट, भुमि में दर्ज बंशीलाल पिता मंगनी राम दास बैरागी के हिस्से में वादीगण का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमियों को

प्रतिवादीगण किसी अन्य को विक्रय, रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादीगण को के हक हिस्से की भूमियों में प्रतिवादीगण नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा जबरन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.03.2022को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही हाने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 12, 13 फौरमल पक्षकार जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद के समर्थन में जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 खाता संख्या 159, 288, 286, 287, 158 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श 1 से 5 तक है। नक्शा ट्रेस जो प्रदर्श 6 है। मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श 7 है। मगनीराम के फोत का नामान्तकरण संख्या 122 की प्रमाणित प्रति जो प्रदर्श 8 है। साबिक जमाबन्दी संवत 2027 से 2030 की खाता संख्या 124 की प्रमाणित प्रति पेश जो प्रदर्श 9 है। साबिक जमाबन्दी 2027 से 2030 की की खाता संख्या 123 की प्रमाणित प्रति पेश जो प्रदर्श 10 है। एवं वादीया पारसदेवी के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली है।

वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्य कथन किया कि वादवर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य की पुश्तैनी एवं पैतृक कृषि आराजियात है जो वादीगण के दादा मंगनीराम पिता मिठालाल दास के समय से चली आ रही है। मगंनीरामजी के कोई औलाद नही होने से प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास को जो वादीगण के सगे पिता है को गोद रखा और वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की जायन्दा पुत्रीयां होकर प्रथम श्रेणी की वारीस होने से वादवर्णित भूमि में वादीगणो का जन्म से हक अधिकार निहित है। वादीगण की माता व प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि शंकरीदेवी की मृत्यु हो चुकी है और प्रतिवादी संख्या 1 बंशीदास जी के अन्धे होने के गावं के अन्य भाई बन्ध लाभ उठाकर उक्त वादवर्णित भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमाद है और वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा चाकरी कर रही है। वादीगण द्वारा वाद को प्रमाणित कराया है वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि वादवर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो की होकर पैतृक और पुश्तैनी जमीन होना रेकार्ड से प्रमाणित है। साबिक रेकार्ड में वादवर्णित भूमि वादीगण के दादा मंगनीरामजी के नाम दर्ज है। मंगनीरामजी के कोई पुत्र नही होने से मंगनीरामजी की भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 21.04.1971 से बंशीलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी 1 की वादीगण पुत्रीयां होने से प्रथम श्रेणी की वारीस होकर वादग्रस्त सम्पति के 2/3 हिस्से की भूमि के हकदार है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रीयां होना प्रमाणित कराया है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादवर्णित तथ्यो के अनुसार अन्धा है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को दिनांक 18.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष गिप्ट डीड (उपहार पत्र) निष्पादित किया गया है। इस गिप्ट डीड में गिप्ट कर्ता की ओर से ऐसा कोई

विवरण नही दिया गया जिससे गिप्ट डीड करना आवश्यक हो। पंजीयन नियमो के अनुसार अंधे की ओर से दस्तावेज निष्पादन की प्रकिया अलग तरह की है जो इस दस्तावेज से स्पष्ट नही हैं। गिप्ट डीड कर्ता को अपने हक हिस्से की भूमि तक गिप्ट डीड करने का अधिकार होता है। इस प्रकरण में गिप्ट कर्ता को अपने नाम भूमि गिप्ट अपने विधिक वारीसान को छोड़ते हुए अन्य के पक्ष में करना आवश्यक भी होता तो अपने हक हिस्से की सीमा तक गिप्ट डीड की जा सकती है दुसरे के हक हिस्से की भूमि नही। वादवर्णित भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक भूमि होने से वादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 एवं वादीगण का 2/3 हिस्सा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को सम्पूर्ण भूमि गिप्ट डीड कर दी गई जो विधि अनुसार नही मानी जा सकती है। इस गिप्ट डीड के अनुसार वादीगणो को हक वादवर्णित भूमि में समाप्त नही हो सकता है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार मै इस निष्कर्ष पर पहॅचां कि वादवर्णित भूमि वादीगण के दादा मंगनीरामजी के समय की है जिसमें वादीगण का हक हिस्सा जन्म से ही निहित है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए सम्पूर्ण भूमि को गिप्ट डीड के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 के हक में दस्तावेज पंजीयन कराया गया है जिससे वादीगणो का हक प्रभावित नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीगणो द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण की आराजी संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 हैक्ट मे वादीगण का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्से का एंव आराजी संख्या 1217, 1218, 1320 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्ट, भुमि मे वादीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का व कुएँ की आराजी संख्या 311 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 699 रकबा 0.07 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1237 रकबा 0.04 है0 गै.मु.आचा. कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 हैक्ट, भुमि में दर्ज बंशीलाल पिता मंगनीराम दास बैरागी के हिस्से में से वादीगण को संयुक्त रुप से 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी 1 व 2 वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा जबरन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

23.06.2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/2022 (2022/79) वाद पत्र

उनवान

1–पारसदेवी पुत्री बंशीदास पत्नि गोपाललाल वैष्णव निवासी राणास हाल नि.खजुरिया तहसील सहाड़ा
2–गीतादेवी पुत्री बंशीदास पत्नि कैलाशचन्द्र वैष्णव निवासी राणास हाल नि.फियावड़ी तहसील कुंवारिया

वादीगण

बनाम

1–बंशीदास दत्तक पुत्र मंगनीरामदास (मगनीदास) निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कंकुदेवी पत्नि सीतारामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–कैलाशदास पिता सीतारामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–जगदीश पुत्र मोहनदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–मदनदास पिता आनन्दरामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राधा पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–रामचन्द्र पिता आनन्दरामदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–लक्ष्मी पुत्री शंकरदास ना.बा.बे.वि. दादी कंकुदेवी पत्नि सीतारामदास निवासी राणास तहसील रायपुर
9–लादी पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10–शांति पुत्री जानकीदास बैरागी निवासी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11–सम्पतदास पिता सीतारामदास बैरागी निवासी निवासी राणास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
13–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम राणास पटवार हल्का बकाण की आराजी संख्या 1213, 1322, 1323, 1324, 1382, कुल किता 5 कुल रकबा 1.14 हैक्ट मे वादीगण का प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रुप से 2/3 हिस्से का एंव आराजी संख्या 1217, 1218, 1320 कुल किता 3 कुल रकबा 0.38 हैक्ट, भुमि मे वादीगण का 1/24–1/24 हिस्सा यानी वादीगण का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्से का व कुएँ की आराजी संख्या 311 रकबा 0.02 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 699 रकबा 0.07 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 1237 रकबा 0.04 है0 गै.मु.आचा. कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 हैक्ट, भुमि में दर्ज बंशीलाल पिता मंगनीराम दास बैरागी के हिस्से में से वादीगण को संयुक्त रुप से 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आशय स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादी 1 व 2 वादीगण के हक हिस्से की भूमियों में नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा जबरन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे, वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

23-06-2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा